PART II

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 24th October, 2022

No. Leg.31/2022.—The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 24th October, 2022 is hereby published for general information:-

HARYANA ORDINANCE NO. 2 OF 2022

THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) AMENDMENT ORDINANCE, 2022

AN

ORDINANCE

further to amend the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2022.

Short title.

- 2. In section 16 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014,-
 - (i) for the existing provisos to sub-section (8), the following provisos shall be substituted, namely:-

Amendment of section 16 of Haryana Act 22 of 2014.

"Provided that all the forty-one members so nominated by the Government shall elect their President, Senior Vice President, Junior Vice President, General Secretary, Joint Secretary and six members, who shall be the members of the Executive Board of the Committee in its first meeting to be convened and presided over by the officer appointed by the Government. The Adhoc Committee and the Executive Board shall cease to exist after the formation of a new Committee:

Provided further that if elections under section 11 are not held within the period of eighteen months, a new Adhoc Committee shall be nominated by the Government for a further period of eighteen months or till the elections are held, whichever is earlier:

Provided further that after the new elected Haryana Gurdwara Management Committee takes over the charge, the Adhoc Committee shall hand over the charge to the newly elected Committee.":

(ii) after sub-section (8), the following sub-section shall be added, namely:-

"(9) The Government may nominate one of the members of the Committee or the Adhoc Committee, as the case may be, as Patron, who shall be a member of the elected Executive Board. While making such nomination, the Government may, if deemed necessary, consult the President or Executive Board of the Committee or the President or Executive Board of the Adhoc Committee, as the case may be."

CHANDIGARH: THE 24TH OCTOBER, 2022 BANDARU DATTATRAYA GOVERNOR OF HARYANA

BIMLESH TANWAR,
Administrative Secretary to Government, Haryana,
Law and Legislative Department.

9936-L.R.-H.G.P., Pkl.

भाग – ॥

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 04 नवम्बर, 2022

संख्या लैज. 31/2022.— दि हरियाणा सिख गरूद्वारा (मैनेजमेंट) अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स, 2022. का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 02 नवम्बर, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :--

2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2022 हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतूष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :--

यह अध्यादेश हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2022, कहा जा सकता है। 1.

संक्षिप्त नाम।

धारा 16 का

संशोधन।

2014 के हरियाणा

अधिनियम 22 की

- हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 16 में,-2.
 - उप-धारा (8) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :--

"परन्त् सरकार द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी इकतालीस सदस्य अपना प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्य निर्वाचित करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे तथा इनका प्रथम अधिवेशन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड नई समिति बनने के बाद अस्तित्वहीन हो जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि अठारह मास की अवधि के भीतर धारा 11 के अधीन चुनाव नहीं होते हैं, तो सरकार द्वारा अठारह मास की और अवधि या जब तक चुनाव नहीं होते हैं, जो भी पहले हों, के लिए नई तदर्थ समिति नामनिर्दिष्ट की जाएगी:

परन्तु यह और कि नई निर्वाचित हरियाणा गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद, तदर्थ समिति नई निर्वाचित समिति को कार्यभार सौंपेगी।":

उप-धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

''(9) सरकार, समिति या तदर्थ समिति के किसी एक सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को संरक्षक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकती है, जो निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड का सदस्य होगा। ऐसा नामनिर्देशन करते समय, सरकार, यदि आवश्यक समझे, प्रधान या समिति के कार्यकारी बोर्ड या प्रधान या तदर्थ समिति के कार्यकारी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श कर सकती है।"।

चण्डीगढः दिनांक 02 नवम्बर, 2022.

राज्यपाल, हरियाणा।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

बंडारू दत्तात्रेय,